

आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर वॉयस पर जनमत संग्रह

ऑस्ट्रेलियाई लोग कई देशों से आते हैं, कई धर्मों का पालन करते हैं और कई भाषाएँ बोलते हैं। आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोग ऑस्ट्रेलिया के प्रथम वासी हैं और वे यहां 65,000 से अधिक वर्षों से रह रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का संविधान उनकी विशिष्ट स्थिति को मान्यता नहीं देता है। यही कारण है कि इस वर्ष के अंत में, हम जनमत संग्रह के माध्यम से अपने संविधान में बदलाव पर फैसला कर सकेंगे। सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को हमारे संविधान में आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों को एक आवाज के माध्यम से पहचानने का मौका मिलेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें प्रभावित करने वाले मुद्दों पर उन्हें सुना जाए।

उलुरु स्टेटमेंट फ्रॉम द हार्ट (Uluru Statement from the Heart) क्या है?

मई 2017 में, 250 से अधिक आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों ने उलुरु स्टेटमेंट फ्रॉम द हार्ट जारी किया। यह हमें पूरे ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने और ऑस्ट्रेलियाई संविधान में आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर वॉयस को शामिल करने के लिए कहता है।

आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर वॉयस क्या है?

एबोरिजिनल एंड टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर वॉयस आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए सरकार को उन कानूनों और नीतियों के बारे में सलाह देने का एक तरीका है जो उन्हें प्रभावित करते हैं।

जनमत संग्रह क्या है?

जनमत संग्रह तब होता है जब मतदाताओं से किन्हीं प्रश्न या प्रश्नों के लिए हाँ या ना में उत्तर देने के लिए कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान को बदलने का एकमात्र तरीका जनमत संग्रह है।

जनमत संग्रह में मतदान कौन कर सकता है?

वोट देने के लिए नामांकित लोग ही केवल जनमत संग्रह में भाग ले सकते हैं। नामांकित मतदाताओं के लिए जनमत संग्रहों में मतदान अनिवार्य है।

मैं जनमत संग्रह में मतदान कैसे करूँ?

जनमत संग्रह चुनाव की तरह होते हैं। मतदान के दिन, आप मतदान स्थल पर जा सकते हैं और मतपत्र पर अपना मत डाल सकते हैं।

जनमत संग्रह कैसे तय किया जाता है?

जनमत संग्रह के सफल होने के लिए, इसे दोहरे बहुमत की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि कम से कम चार राज्यों और पूरे ऑस्ट्रेलिया में बहुमत का वोट।

आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर वॉयस जनमत संग्रह कब आयोजित किया जाएगा?

आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर वॉयस जनमत संग्रह इस साल के अंत में आयोजित किया जाएगा।

आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर वॉयस जनमत संग्रह क्या सवाल पूछेगा?

"प्रस्तावित कानून: आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर वॉयस की स्थापना करके ऑस्ट्रेलिया के प्रथम लोगों को पहचानने के लिए संविधान में बदलाव करना। क्या आप इस प्रस्तावित परिवर्तन को स्वीकार करते हैं?"

यह सूचना पत्र किसने बनाया?

यह फैक्ट शीट Life Without Barriers, Reconciliation Australia, SNAICC – National Voice for our children, Yes Alliance और Polaron Language Services के संयुक्त प्रयास से बनाई गई थी। यह साझेदारी आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर वॉयस पर सुलभ जानकारी बनाने में मदद के लिए बनाई गई थी।

और अधिक जानकारी कहाँ मिलेगी?

The National Indigenous Australians Agency www.niaa.gov.au
SNAICC National Voice for our Children www.snaicc.org.au
Reconciliation Australia www.reconciliation.org.au
First Peoples Disability Network www.fpdn.org.au

Life Without Barriers www.lwb.org.au
Yes 23 www.yes23.com.au
Polaron www.polaron.com.au
Have Your Say www.haveyoursay.net